भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 227980

न्यास विलेख

न्यास का नाम	–	माँ गायत्री एजूकेषनल ट्रस्ट।
न्यास का पता	–	7 के0 आर0 नगर, रोषन विहार, सिकन्दरा, आगरा।
प्रमुख कर्ता व न्यास में लगाया गया धन	–	न्यास में मुख्य न्यासी श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज पुत्र श्री हरी शंकर शर्मा नि0 7 के0 आर0 नगर, रोषन विहार, सिकन्दरा आगरा ट्रस्ट का निर्माण कर रहे है तथा मुख्य न्यासी द्वारा रू 5100/– की धनराषी न्यास को समर्पित की गई है।

विधिक प्रलेख–

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार न्यास एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व से आवद्ध होता है तथा उसे सम्पत्ति का स्वामी घोषित अथवा स्वीकार किया जाता है, सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिए ही स्वीकार करेगा।

न्यास के तत्व–

मुख्य न्यासी द्वारा न्यास का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है– न्यास एक प्रकार का आभार है, आभार से सम्पत्ति का जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध है। न्यास का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक न्यास के लिए हिताधिकारियों का होना आवष्यक है। न्यास का रचैयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व

6216

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 227981

का आभार आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक न्यास में आभारी न्यासी हितधारी न्यास सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर न्यास के निम्न न्यासीयों द्वारा बनाया गया प्रबन्ध मण्डल –

क्रम स0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज पुत्र श्री हरी शंकर शर्मा	नि0– 7 के0 आर0 नगर, रोषन विहार, सिकन्दरा, आगरा।	संस्थापक / प्रबन्धक	व्यापार
2	श्रीमती मंजू भारद्वाज पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज	नि0– 7 के0 आर0 नगर, रोषन विहार, सिकन्दरा, आगरा।	अध्यक्ष	गृहणी
3	श्री दिव्यांष भारद्वाज पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज	नि0– 7 के0 आर0 नगर, रोषन विहार, सिकन्दरा, आगरा।	कोषाध्यक्ष	व्यापार

न्यास के मुख्य उद्देष्य–

यह न्यास निम्नलिखित सम्पादित करेगा–

1. ट्रस्ट प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व उच्च शिक्षा मैडीकल षिक्षा–नर्स (मेल–फीमेल) फार्मेसी, पॉलीटेक्नीक व आई. टी. आई के शिक्षालय स्थापित करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। भारतीय परिवेश में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षा संस्थायें स्थापित करना, प्रबन्ध करना एवं संचालित करना। ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।
2. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलांग व निराश्रित, लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना, बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना।

Devendra Singh Bhardwaj

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 227982

मुकेश भारद्वाज
उप रजिस्ट्रार
15 A... 2016
कोषागार, आगरा

3. ... परियोजना में सहयोग देना, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना व आपात कालीन परिस्थितियों में ... लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना।

4. ट्रस्ट निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को निशुल्क आर्युवेद चिकित्सा सुविधा हेतु एक इमरजेंसी व अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र ... निर्माण करायेगी।

5. निराश्रित विधवाओं, महिलाओं एवं असहाय वृद्धों के लिये आश्रम स्थलों के निर्माण के लिये भूमि देना एवं उसकी देख-रेख व ... ।

6. समिति के मुख्य उद्देश्यों के लिये प्रदेश भर में योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं यथासम्भव हर जनपद में इसकी शाखायें खोलना एवं निराश्रित लोगों की मदद के लिये संस्थान का निर्माण करना।

7. जनकल्याण के कार्य जैसे आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़, आदि के समय जन-जन तक सरकारी सहायता पहुँचाना।

8. उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार एवं व्यक्तिगत संस्थाओं एवं निकायों बैंकों से दान, अनुदान, आर्थिक ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायताऐं प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।

9. समिति, एच.आर.डी., यू.जी.सी. ग्राण्ट कमीषन, वर्ल्ड बैंक, डब्लू.एच.ओ., रेडक्रास, बाल एवं महिला कल्याण, शिफ्सा, कपार्ट, नॉबार्ड बैंक व शिक्षा विभाग आदि संस्थाओं, विभागों से आर्थिक व अन्य सहायता प्राप्त करेगी।

10. 'न्यास आयकर अधिनियम' की धारा 80-जी व 12-ए, और एफ.सी.आर.ए 35 ए0सी0 के लिए भी आवेदन करेगा।

11. महिला/कन्या छात्रावास, महिला/कन्या विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन।

12. संस्था भिन्न-2 कार्यों को संपादित करने के लिये उप-समितियाँ गठित करेगी जो ट्रस्ट के प्रति उत्तरदायी होगी।

13. ट्रस्ट के सभी उद्देष्य अलाभकारी होंगे, अतः ट्रस्ट नो प्रोफिट नो लॉस की नीति पर आधारित होगी।

न्यासियों की नियुक्ति-

न्यास के न्यासियों की नियुक्ति आपसी सहमती से ही करेंगे। जो व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल व्यवसनों का आदी होगा वह न्यास का सदस्य नहीं हो सकेगा। न्यासियों में से कोई भी न्यासी का अवसान, मृत्यु या कोई नैतिक दोष, अश्रद्धा एवं न्यासी की

Devendra ...

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 227983

हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से स्थान रिक्त होने पर न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की रिक्त स्थान को भरने अथवा नया न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

मुकेश भारद्वाज
उप रोकडिया
13 APR 2015
कोषागार आगरा

न्यास के वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज होंगे। वे इस पद पर जीवनपर्यन्त बने रहेंगे आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति भी वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य ही करेंगे। इसके बाद प्रत्येक कार्यरत प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा की जाएगी। वर्तमान प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य अपनी स्वेच्छा से किसी को भी आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त कर सकते है अथवा अपनी वसीयत द्वारा आगामी प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे।

अन्य संचालन व्यवस्थाए, प्रावधान नियम, उपनियम–

1. संस्थापक न्यासी सहित कुल न्यासियों की संख्या पाँच से अधिक नही होगी। न्यासी के स्वेच्छा से त्याग पत्र देने, निधन या संस्थापक न्यासी द्वारा बदलने की स्थिति मे समाज सेवी, बुद्धिजीवी, निष्ठावान, चरित्रवान, लोकप्रिय व न्यास के उद्देश्यों के लिए समर्पित व्यक्तियों मे से ही न्यासी का मनोनयन द्वारा संचालन समिति की बैठक मे विचार करके किया जाएगा।
2. संचालन समिति बहुमत से न्यास की विभिन्न परियोजनाओं के प्रबंधनार्थ उप समितियों का गठन करेगी। उपसमितियों के सदस्यों की संख्या प्रस्तावित परियोजना के अनुसार संचालन समिति स्थिर करेगी प्रत्येक उपसमिति का एक संयोजक होगा। संयोजक व उपसमितियों के सदस्यों के कर्त्तव्य व अधिकारों का निर्धारण संचालन समिति इस अनुबंध मे प्राप्त स्वयं के कर्त्तव्य व अधिकारों के अंतर्गत करेगी।
3. इन उपसमितियों का संचालन ट्रस्ट के आधीन ही होगा। जरूरत समझने पर न्यासी के अतिरिक्त समाज के अन्य ख्याति प्राप्त समाजसेवी व अनुभवी निष्ठावान व्यक्तियों के उपसमितियों के संयोजक या सदस्य के रूप में चयन करने का अधिकार संस्थापक को होगा। संयोजक वैतनिक भी हो सकता है।
4. न्यास की परियोजनाओं को उत्तरदायित्व व समर्पण के साथ पूर्ण करने व न्यास के विकास के उद्देश्यों से संस्थापक न्यासी व अन्य न्यासी मिलकर, संचालन समिति की बैठक में किसी भी पदाधिकारी या न्यासी सदस्य को आर्थिक सहयोग के रूप में

Devendra Singh Bhardwaj

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 227984

निश्चित मानधन देने का निर्णय बहुमत के आधार पर ले सकेंगे किन्तु स्वीकृति का अन्तिम अधिकार श्री [illegible] जी को ही होगा।

मुकेश भारद्वाज
उप रोकड़िया
13 APR 2015
कोषागार, आगरा

5. वर्ष में न्यास संचालन समिति की योजनानुसार तीन बैठकें होंगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। जिसका अनुमोदन/सम्पुष्टि आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् प्रति वर्ष न्यास की एक वार्षिक बैठक मार्च मास में अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें पिछले वर्ष का आंकेक्षित आय व व्यय विवरण स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और आगामी वर्ष का योजना बजट स्वीकृत होगा।

7. महत्वपूर्ण परिस्थितियों में संचालन समिति की आकस्मिक बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।

8. ट्रस्ट अपनी सम्पत्ति को मोरगेज कर सकेगा किसी भी संस्था व्यक्ति या बैंक से ऋण ले सकेगी जिसका सम्पूर्ण अधिकार संस्थापक/प्रबन्धक को ही होगा।

बैठकों का कोरम–

आकस्मिक बैठक में कोरम का बंधन नहीं होगा। उपस्थित न्यासी/पदाधिकारी निर्णय ले सकेंगे, किन्तु आगामी पूर्ण नियमित बैठक में कार्यवाही व निर्णयों की पुष्टि आवश्यक होगी।

आय–व्यय लेखा पुस्तकें व लेखा परीक्षण–

1. संचालन समिति न्यास की आय व व्यय का विधिवत हिसाब रखेगी व लेखा पुस्तकें तैयार करेगी।
2. लेखा पुस्तकों का विधिवत अंकेक्षक द्वारा परीक्षण किया जायेगा। अंकेक्षक के नाम व फीस का निश्चय संचालन समिति अपनी बैठक में करेगी।
3. हिसाब–किताब व वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक होगा।
4. न्यास का विधिवत खाता किसी भी बैंक में खोला जायेगा। खाता संस्थापक/प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से खोला जायेगा। धनराशि का आहरण भी संस्थापक/प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 227985

मुकेश भारद्वाज
13 APR
कोषागार

संचालन समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य–

अध्यक्ष–

(अ) ऐसी संचालन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ब) बैठकों के विषयानुक्रमों को प्रबन्धक के परामर्श से निर्धारण करना।

(स) न्यास प्रबन्धक के माध्यम से बैठकों को आहूत करना या आवश्यकतानुसार आहूत करना।

(द) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नव–निर्वाचित सहित अन्य कार्य सम्पादित करना।

संस्थापक / प्रबन्धक–

(अ) अध्यक्ष के परामर्श से बैठकों को आहूत करना व उनका संचालन करना।

(ब) न्यास के कर्मचारियों को अध्यक्ष से परामर्श कर नियुक्त करना, निलम्बित करना व उनमें अनुशासन स्थापित करना।

(स) अन्य वे सभी अधिकार व कर्तव्य जो न्यास हित में संचालन समिति उन्हें सौंपे।

कोषाध्यक्ष–

(अ) न्यास की समस्त वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करना, सम्बन्धित लेखाओं को रखना व रखवाना।

(ब) अप्रायोजित व अतिरिक्त न्यास धन को 'भारतीय न्यास अधिनियम 1860' की धारा–20 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना।

(स) वित्तीय लेखा–जोखा को वित्तीय वर्ष समापन के पश्चात् दो माह में पूर्ण कर या कराकर अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराकर संचालन समिति की मार्च माह की वार्षिक बैठक में अनुमोदित हेतु प्रस्तुत करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 227986

13 APR 2015

[illegible] समिति द्वारा मनोनीत अंकेक्षक न्यास के सभी लेखों–जोखों का वित्तीय वर्ष के उपरान्त अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण/ऑडिट करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट देना।

संस्थापक–

न्यासी दम्पत्ति व न्यासियों के जो अधिकार कर्तव्यों का जिक्र इस अनुबंध में नहीं है उनका और उनके [illegible] अन्य अधिकार व कर्तव्य भारतीय न्यास अधिनियम 1860 के अधीन निर्धारित होंगे।

कानूनी प्रक्रियायें–

न्यास से सम्बंधित सभी कानूनी विवाद न्यास पदाधिकारी दायर करेंगे। न्यास पदाधिकारी ही प्रमुख कार्यपालक होंगे व न्यास में सेवारत सभी कर्मचारी उसके अधीन होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 227986

13 APR 20[illegible]

अंकेक्षक–

...समिति द्वारा मनोनीत अंकेक्षक न्यास के सभी लेखों–जोखों का वित्तीय वर्ष के उपरान्त अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर परीक्षण/ऑडिट करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट देना।

संस्थापक–

न्यासी दम्पत्ति व न्यासियों के जो अधिकार कर्तव्यों का जिक्र इस अनुबंध में नहीं है उनका और उनके [illegible] अन्य अधिकार व कर्तव्य भारतीय न्यास अधिनियम 1860' के अधीन निर्धारित होंगे।

कानूनी प्रक्रियायें–

न्यास से सम्बधित सभी कानूनी विवाद न्यास पदाधिकारी दायर करेंगे। न्यास पदाधिकारी ही प्रमुख कार्यपालक होंगे व न्यास में सेवारत सभी कर्मचारी उसके अधीन होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AX 647531

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

संशोधन के अधिकार–

इस न्यास अनुबंध में लिखित मुद्दों पर भारतीय न्यास अधिनियम 1860 से सामंजस्य रखते हुये नये नियमों का सृजन, वर्तमान नियमों व प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास का होगा, जिसका अनुमोदन 2/3 सदस्यों से होगा। **व ट्रस्ट के पास 5100/–रुपये के अलावा कोई चल–अचल सम्पत्ति नही है।**

न्यास विघटन स्थिति में–

यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यों के अधीन संचालित करना सम्भव न हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल–अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष व संस्थापक/प्रबन्धक को वापस चली जायेगी, तथा शेष रकम को बराबर मानते हुए अन्य सम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा।

अतः न्यास विलेख मुख्य न्यासी श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दबाव नाजायज किसी के अपने पूर्ण होशोहवास में अपने परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत के समय काम आए।

Devendra Singh Bhardwaj
25/05/15

गवाह– [illegible]

गवाह– [illegible]

Jitendra Kumar Agarwal
Deed Writer

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 647531

संशोधन के अधिकार–

इस न्यास अनुबंध मे लिखित मुददो पर भारतीय न्यास अधिनियम 1860 से सामजस्य रखते हुये नये नियमों का सृजन वर्तमान नियमों व प्रावधानो मे संशोधन परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास का होगा, जिसका अनुमोदन 2/3 सदस्यों से होगा। **व ट्रस्ट के पास 5100/–रुपये के अलावा कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।**

न्यास विघटन स्थिति मे–

यदि किन्ही अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण न्यास को उद्देश्यो के अधीन संचालित करना सम्भव न हो और इस न्यास का विघटन अपरिहार्य हो जाये तो इसकी चल–अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष व संस्थापक/प्रबन्धक को वापस चली जायेगी तथा शेष रकम को बराबर मानते हुए अन्य सम्पत्तियो का निस्तारण किया जायेगा।

अतः न्यास विलेख मुख्य न्यासी श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी दवाब नाजायज किसी के अपने पूर्ण होशोहवास मे अपने परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत के समय काम आए।

Devendra Singh Bhardwaj
25/05/15

गवाह– [illegible]

गवाह– [illegible]

Jitendra Kumar Agarwal
Deed Writer

आज दिनांक 25/05/2015 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 544

पृष्ठ सं. 251 से 266 पर क्रमांक 372

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश कुमार यादव

प्र0 उप निबन्धक द्वितीय

आगरा सदर

25/5/2015